बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय), समस्तीपुर में दो–वर्षीय बी0एड0 कोर्स सत्र 2017–19 में नामांकन हेतु विज्ञप्ति :

विभागीय संकल्प सं0–1068 दिनांक–04.07.2008, संशोधित संकल्प सं0–408 दिनांक–04.10.2012, 407 दिनांक–24.07.2013, 68 दिनांक–21.04.2014, 414 दिनांक–26.06.2015, 416 दिनांक–26.06.2015, 232 दिनांक–15.06.2016, 238 दिनांक–21.06.2016, 130 दिनांक–13.4.2017 एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित मानकों के आलोक में अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, समस्तीपुर में दो–वर्षीय बी0एड0 कोर्स अकादमिक सत्र 2017–19 में नामांकन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से 100 सीट के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

1. स्वीकृत कुल सीटों में से 50 प्रतिशत सीटों के विरूद्ध नामांकन हेतु आवेदन, बिहार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (BSITET) उत्तीर्ण तथा शेष 50 प्रतिशत सीटों के विरूद्ध नामांकन हेतु आवेदन कक्षा 06–08 के शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों/नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षकों का नामांकन किया जायेगा। दोनों श्रेणी के लिए निर्धारित सीट में से किसी भी श्रेणी में सीट रिक्त रहने की स्थिति में रिक्त रह गये सीटों के विरूद्ध दूसरी श्रेणी के अभ्यर्थियों का नामांकन किया जायेगा।
2. नामांकन हेतु अभ्यर्थियों की उम्र 1 जनवरी 2017 को न्यूनतम 21 वर्ष होगी।
3. नामांकन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया जायगा।
4. नामांकन हेतु 100 सीट निर्धारित है जिसमें 3 प्रतिशत निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू करते हुए आरक्षित रहेगा।
5. दोनों श्रेणियों के सीटों के विरूद्ध नामांकन हेतु चयन/मेधा सूची निर्माण का आधार अपनी श्रेणी के बिहार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (BSITET) या कक्षा 06–08 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में आवेदित विषय में प्राप्त अंक का प्रतिशत होगा। मेधा सूची का निर्माण दोनों श्रेणियों में कोटिवार किया जायेगा। समान श्रेणी के नामांकन में बिहार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (BSITET) या कक्षा 06–08 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण एवं शिक्षक के रूप में नियुक्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। समान श्रेणी में अंकों का प्रतिशत समान रहने की स्थिति में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. नामांकन हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक/स्नातकोत्तर में 50 प्रतिशत प्राप्तांक होगी जिसमें आरक्षित कोटि/निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत की छूट होगी।
7. नामांकन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक–11.05.2017 तक अपना आवेदन पत्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से प्राचार्य, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय), समस्तीपुर के नाम से प्रेषित करेंगे। डाक की बिलंब अथवा अन्य कारणवश निर्धारित तिथि (दिनांक–11.05.2017 शाम 05:00 बजे) के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। साधारण डाक/कोरियर/हाथो हाथ प्राप्त आवेदन की कोई मान्यता नहीं है। आवेदन–पत्र का प्रारुप महाविद्यालय के वेबसाईट www.gttcsamastipur.com पर देखा जा सकता है। साथ ही महाविद्यालय एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर के सूचना पट्ट से भी आवेदन–पत्र का प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है।

नामांकन–कैलेंडर

1.	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं नामांकन समिति के सभी सदस्यों को बैठक में प्रतिभागिता हेतु प्राचार्य द्वारा आमंत्रण	–	11.05.2017 (गुरूवार) तक
2.	वृहत मेधा सूची का निर्माण एवं नामांकन समिति की बैठक का आयोजन	–	16.05.2017 (मंगलवार) तक
3.	वृहत मेधा सूची (सभी समर्पित आवेदन हेतु) का प्रकाशन (महाविद्यालय के वेबसाईट एवं सूचना–पट्ट पर)	–	18.05.2017 (गुरूवार) तक
4.	मेधा सूची पर अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति प्राप्त करना	–	30.05.2017 (मंगलवार) तक
5.	प्राप्त आपत्ति के निराकरण के उपरांत अन्तिम मेधा सूची (सीट के अनुसार अभ्यर्थियों की सूची) एवं कोटिवार / विषयवार सम्पूर्ण प्रतीक्षक सूची का प्रकाशन (महाविद्यालय के वेबसाईट एवं सूचना–पट्ट पर) एवं अन्तिम मेधा सूची तथा सम्पूर्ण प्रतीक्षक सूची की हार्ड कॉपी की एक प्रति 06.06.2017 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित किया जाना।	–	06.06.2017 (मंगलवार) तक
6.	नामांकन हेतु सूचना–प्रेषण (दूरभाष / ई–मेल / वेबसाईट द्वारा)	–	08.06.2017 (गुरूवार) तक
7.	नामांकन (प्रथम सूची एवं तदुपरांत प्रतीक्षक सूची, दोनों के आधार पर)	–	13–24 जून 2017 तक
8.	नामांकन–प्रक्रिया बन्द	–	27 जून 2017 से
9.	कक्षा संचालन की तैयारी (परिचय पत्र, निबंधन, प्रशिक्षण महाविद्यालय के शिक्षक एवं वरीय सत्र के छात्रों से पारस्परिक विचार–विमर्श इत्यादि)	–	28 जून से 30 जून 2017
10.	शिक्षण कार्य प्रारंभ करना	–	01.07.2017 (शनिवार) से

8. नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नामांकन के समय प्रथम वर्ष के लिए 12,500.00 (बारह हजार पाँच सौ) रुपये एवं अनु0जाति / ज0जाति / निःशक्त के लिए यह राशि 4900.00 (चार हजार नौ सौ) रुपये बैंक ड्राफ्ट के रूप में देय होगी। द्वितीय वर्ष के लिए 11500.00 (ग्यारह हजार पाँच सौ) रूपये एवं अनु0जाति / ज0जाति / निःशक्त के लिए यह राशि 4100.00 (चार हजार एक सौ) रूपये बैंक ड्राफ्ट के रूप में देय होगी। यह राशि विद्यार्थियों के मासिक योजना एवं आवास शुल्क को छोड़कर है।

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र अधूरा रहने अथवा वांछित अभिलेख संलग्न नहीं रहने पर अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(क) आवेदन शुल्क के रूप में **प्राचार्य, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, समस्तीपुर** के पदनाम से देय जो **पंजाब नेशनल बैंक, समस्तीपुर** में भुगतेय **500.00 (पाँच सौ) रुपये** का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा जो वापस नहीं होगा।

(ख) शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण–पत्र, नियोजन पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण–पत्र, स्नातक / स्नातकोत्तर के अंक पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।

(ग) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सक्षम पदाधिकारी से निर्गत अद्यतन जाति प्रमाण पत्र एवं शारीरिक रूप से असमर्थ अभ्यर्थी दिव्यांग प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

(घ) आवेदन पत्र में नियोजित, नियोजन का विषय, अद्यतन आरक्षण कोटि एवं श्रेणी (माध्यमिक / उच्च माध्यमिक) या कक्षा 06–08 **लाल स्याही** से भरे जाएंगे।

9. सरकार के आदेशानुसार सत्र–2016–18 से नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षकों को सवैतनिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। प्रशिक्षण अवधि में सवैतनिक इस शर्त्त के साथ देय होगा कि वे प्रशिक्षण के उपरान्त कम से कम 05 वर्षो तक शिक्षण का कार्य करेंगे। विनिश्चित अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति में प्रशिक्षण अवधि में प्राप्त वेतन आदि सरकार के खजाने में जमा करनी होगी। संबंधित शिक्षक को इस आशय का बॉन्ड विहित प्रारूप में देना होगा। वसूलनीय राशि लोक माँग के रूप में वसूलनीय होगी।

10. महाविद्यालय में B.Ed. कोर्स (सत्र–2017–19) में नामांकन करा लिये जाने के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य कोर्स में तथा अन्य प्रशिक्षण महाविद्यालय में स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। एक बार नामांकित अभ्यर्थी का नामांकन शुल्क, किसी भी परिस्थिति में, वापस नहीं किया जायेगा।

11. यदि आवेदक नियोजित शिक्षक कक्षा 01 से 05 में नियोजित है और वे बिहार माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (BSITET) या कक्षा 06–08 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में उत्तीर्ण होगें एवं यदि वे आवेदन करते हैं तो उन्हें अनियोजित श्रेणी में समझा जायेगा।

12. नामांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

19.4.17

प्राचार्य
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
(राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय)
समस्तीपुर। 19/4/17

आवेदन का प्रारूप

शिक्षा विभाग

अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, समस्तीपुर

दो–वर्षीय बी0एड0 कोर्स सत्र : 2017–19

पासपोर्ट साईज
रंगीन छायाचित्र

1. अभ्यर्थी का नाम :– ....
2. पिता / पति का नाम :– ....
3. पत्राचार का पता :– ....

....

4. स्थायी पता :– ....

....

5. जन्म तिथि :– ....5.(a) आयु (01.01.2017) .... दिन ....माह ....वर्ष
6. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण–पत्र संलग्न) :–

परीक्षा उत्तीर्ण	बोर्ड / विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण वर्ष	प्रतिशत	श्रेणी
मैट्रिक				
इन्टर				
स्नातक				
स्नातकोत्तर				
अन्य				

7. श्रेणी (मा0 / उ0मा0 (BSITET) / कक्षा 06–08 (TET) (प्रमाण–पत्र संलग्न) :– ....
8. बिहार माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (BSITET)/शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) कक्षा 06–08 उत्तीर्णता का विवरण :

वर्ष	BSITET/TET क्रमांक	विषय	प्राप्तांक	प्रतिशत

9. नियोजित (प्रमाण–पत्र संलग्न) :– ....
10. नियोजन का विषय :– ....
11. नियोजित विद्यालय का नाम :– ....

.... प्रखण्ड :– .... जिला :– ....

12. आरक्षण कोटि (अद्यतन प्रमाण–पत्र संलग्न) :– ....
13. निःशक्तता (प्रमाण–पत्र संलग्न) :– ....
14. आवेदन शुल्क का विवरण :–

दिनांक	ड्राफ्ट नं0	बैंक का नाम	राशि

15. मोबाईल नं0 (अत्यावश्यक) :– ....
16. ई–मेल आई.डी. (अत्यावश्यक) :– ....

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए वर्णित सभी सूचनाएँ सही हैं। यदि किसी प्रकार की त्रुटि एवं गलत सूचना होगी तो इसकी जवाबदेही मेरे ऊपर होगी एवं मैं कानूनी कार्रवाई के लिए जबावदेह होऊँगा / होऊँगी।

स्थान ....

तिथि ....

आवेदक का हस्ताक्षर